



पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
केन्द्रीय लोक सूचना विभाग
उत्तरी क्षेत्र -2
अन्तर कार्यालय ज्ञापन



पावरग्रिड

प्रेषक : के.लो.सू अधिकारी,
उत्तरी क्षेत्र-2, जम्मू

सेवा मे महा प्रबन्धक(स एवं सा)
उत्तरी क्षेत्र-2, जम्मू

संदर्भ सं : पी.ई.एस.एम/उत्तरी क्षेत्र-2/ आर.टी.आई-M-21

दिनांक : 30.01.2019


विषय : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी.

श्री एस पी पंडोह पुत्र, निवासी त्रिकुटा नगर, जम्मू में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत एक आरटीआई का आवेदन किया है जो की आपके कार्यालया से संबन्धित है ।

आपसे अनुरोध है कि निवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी दिनांक 6.02.2019 तक प्रस्तुत करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (5) के अन्तर्गत जब तक संबंधित कार्यालय से मांगी गई जानकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त नहीं होती तब तक संबंधित अधिकारी को जनसूचना अधिकारी के रूप में माना जाएगा ।

संलग्न: आरटीआई की प्रतिलिपि


गौतम लूथरा
(गौतम लूथरा)
30/1/19

प्रति : महा प्रबन्धक (विक्त), उत्तरी क्षेत्र-2, जम्मू
प्रति : मुख्य प्रबन्धक (सतर्कता), उत्तरी क्षेत्र-2 जम्मू को सूचना हेतु ।